Tel.-05442-24560
Mob: 9415311059

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P.Power Trans. Corporation Ltd.
Patharahiya road- Mirzapur (U.P.) -231001
Email Id: - eeetdmirzapr@upptcl.org

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०
पथरहिया रोड-मीरजापुर (उ०प्र०)-२३१००१
ई-मेल:- eeetdmirzapr@upptcl.org

पत्रांक – 1354 / वि०प्रे०ख०(मी०) /

दिनांकः–07–09–2019

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

विषयः– जनपद मीरजापुर में 132 के0वी0 मीरजापुर–जिगना द्वितीय परिपथ लीलों के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकरी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–2202 / 11–सी–FP/UP/Trans/22021/2016 दिनांक 21.05.2019 के कम में आपका कार्यालय पत्र संख्या 105 मीरजापुर दिनांक 06.07.2019।

महोदय,

विषयक प्रस्ताव में उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निवारण कर संसोधित प्रस्ताव 5 प्रतियों में तैयार कर निम्न प्रकार प्रेषित है।

क्र0 स0	उच्च स्तर से उठायी गयी कमी	आपत्ति का उत्तर
1.	प्रस्तावित वन भूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट संलग्न है किन्तु टोपोशीट पर शीर्षक लीजेंट एवं प्रस्तावित स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन नही किया गया है। अतः संशोधित कर संलग्न करते हुए ऑन लाइन अपलोड करें।	प्रस्तावित वन भूमि का 1:50000 माप का लीजेंट एवं प्रस्तावित स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन करते हुये आन लाइन अपलोड कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 15 पर स्पष्ट वचनबद्वता संलग्न नही है। अतः प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का जिला अधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वन भूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिकी लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने स्पष्ट वचनबद्वता एवं लीज अवधि प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाअधिकरी द्वारा प्रतिहस्तारक्षित हो संलग्न कर ऑन लाइन अपलोड़ करें।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 15 पर स्पष्ट वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जो भी शर्ते लगायी जायेगी प्रस्तावक संस्था को मान्य होगी।
3.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट संलग्न है किन्तु ऑन लाइन भाग–2 के कमांक– 13(IV) में बिना सत्यापित किया हुआ रंगीन टोपोशीट अपलोड किया है। अतः ऑन लाइन भाग–2 के कमांक–13(IV) में सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की रंगीन टोपोशीट अपलोड करें।	वन विभाग संबन्धित है
4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) जमा किये जाने की वचनबद्धता में हरियाली घनत्व के अनुसार एन0पी0वी गणना की दर का उल्लेख नही किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः संशोधित शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) जमा किये जाने की वचनबद्धता, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्तारक्षित हो संगलन करे तथा पूर्व की वचनबद्धता अपलोड करे।	शुध्द वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) जमा किये जाने की हरियाली घनत्व के अनुसार NPV गणना की दर का उल्लेख करते हुये संशोधित शुद्ध वर्तमान मूल्य NPV जमा किये जाने की वचनबद्धता जो प्रभागीय वनाअधिकारी द्वारा प्रतिहस्तारक्षित है संलग्न करते हुये पूर्व की वचनबद्धता ऑन लाइन भाग–2 से डिलीट कर संशोधित वचनाबद्धता अपलोड कर दिया गया है।

	इको– क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु एन0पी0वी0 की दर सही हरियाली घनत्व के अनुसार नही ली गयी है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः एन0पी0वी0 की दर सही हरियाली घनत्व के अनुसार लेते हुए संशोधित एन0पी0वी0 की गणना संलग्न करें तथा पूर्व की एन0पी0वी.0 की गणना आन लाइन भाग–2 से डिलीट कर संशोधित एन0पी0वी0 की गणना अपलोड करे।	वन विभाग सम्बन्धित
6.	वन अधिकार अधिनियम –2006 के अन्तर्गत जिलाअधिकारी के प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है, जो कि स्वीकार्य नहीं है। अतःवन अधिकार अधिनियम –2006 के अन्तर्गत जिलाअधिकारी के प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करें।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत जिलाअधिकारी के प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्ताव में संलग्न
7.	ऑन लाइन भाग–2 व हार्ड कापी भाग–2 में हरियाली घनत्व 1 अंकित किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित करते हुये तदनुसार एन0पी0वी0 की गणना व बचनबद्धता संलग्न करे।	आल लाईन भाग–2 व हार्ड कापी भाग–2 मं संशोधित हरियाली घनत्व अंकित करते हुये तदनुसार NPV की गणना व वचनबद्धता संलग्न कर दिया गया है।
8.	ऑन लाइल भाग–2 के कमांक–13(I) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि गलत फीड की गयी है। अतः सही धनराशि फीड करें।	वन विभाग सम्बन्धित
9.	प्रस्ताव में प्रस्तावित लीलो लाइन की **तीन वैकल्पिक रूट्स** की सत्यापित Sol टोपोशीट जिसपर शीर्षक, लीजेण्ड एवं तीन वैकल्पिक रूट्स का स्पष्ट संरेखण अंकित हो संलग्न नहीं है। अतःसंलग्नकर ऑन लाइन अपलोड करे।	प्रस्ताव में प्रस्तावित लीलो लाइन की तीन वैकल्पिक रूट्स की सत्यापित Sol टोपोशीट जिसपर शीर्षक लीजेंट एव तीन वैकल्पिक रूट्स का स्पष्ट संरेखण एवं प्रस्तावित रूट्स का तुलनात्मक जस्टिफिकेशन प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
10.	ऑन लाइन भाग–2 के कमांक–13(III) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के Geo referenced Digital Map के स्थान पर SOL टोपोशीट अपलोड की गयी है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलीट कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की सत्यापित Geo referenced Digital Map अपलोड़ करें।	वन विभाग सम्बन्धित

संलग्नक– यथोपि प्रस्ताव 4 नग।

अधिशासी अभियन्ता
वि0प्रे0खं0 मीरजापुर
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0
पथरहिया, मीरजापुर

पत्रांक – /वि0प्रे0ख0(मी0)/ दिनांकः– – –2019

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता , विद्युत प्रेषण, मण्डल उ0 प्र0 पावर ट्रासमिशन कारपोरेशन लि0, मीरजापुर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
वि0प्रे0खं0 मीरजापुर